भाकृअनुप
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर - 334006

के शु बा सं

03

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/FP/Auction/2011/ 6714 दिनांक:01.10.2016.

संस्थान प्रक्षेत्र में 500 नग खेजडी के पेडों की कटाई-छंटाई व 100 नग देशी बेर की झाडियों की कटाई की खुली नीलामी (दिनांक 15.10.2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्तें:-

1. संस्थान के प्रक्षेत्र में खेजडी के पेडों की कटाइ-छटाई व देशी बेर की झाडीयों की कटाई की जानी है।

2. सब्जी प्रखण्ड खेजडी प्रखण्ड व संस्थान के मुख्य द्वार से दूसरे द्वार के मध्य स्थित कलमी खेजडी के वृक्ष इस अनुबंध में सामिल नही होंगे।

3. कटाइ-छटाई किये गये पाला, लुंग, देशी बेर की छडियां व खेजडी की छडियां अनुबंधक की होंगी।

4. खेजडी की कटाई-छटाई करते समय उन पर उप शाखाओं को छोडना होगा।

5. उपरोक्त कार्य संस्थान कार्य दिवस में ही करना होगा (रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा) व सामान की निकासी गेट पास द्वारा (सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक) की जायेगी।

6. संस्थान की संपत्ति पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों व अन्य संसाधनो को अनुबंधक व उसके श्रमिकों द्वारा क्षतिग्रस्त करने पर भरपाइ अनुबंधक को करनी होगी।

7. उपरोक्त कार्यों के लिए संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेंगे।

8. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा। यदी किसी भी स्तर पर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

9. पाला, लुंग, पतली छडियां, कटीली झाडीयों को अनुसंधान प्रखण्डों से हटाकर अन्य रिक्त पडी भूमि पर एकत्र करना होगा। मुख्य सडकों के किनारे उपरोक्त सामग्री को एकत्र नही किया जायेगा।

10. प्राकृतिक आपदा, तेज आंधी, वर्षा, पाला पडना इत्यादी मौसमी परिस्थितियो से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान उत्तरदायी नही होगा एवं किसी भी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी।

11. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यकित को बयाना राशि के रुप में **रु.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र)** जमा कराने होगें।

12. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

13. जिस व्यकित के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुबंध (नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) किया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी स्वीकार करने पर ही कार्यादेश जारी किया जावेगा एव अनुबंधक कार्य शुरु करेगा।

लगातार पृष्ठ सं.2 पर

14. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जावेगा। इस स्थिति में दूसरी अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

15. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकडियों लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

16. संस्थान में अनुबंध पत्र स्वीकार करने के पश्चात कटाई-छटाई से प्राप्त लकडियों को कार्यादेश जारी होने के एक माह में ले जाना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक उन लकडियों पर नही रहेगा। इस अवधि में लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।

17. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

18. लकडियाँ ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही कराएगा।

19. लकडियाँ के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

20. सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) लकडियाँ को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु अनुबंधक (ठेकेदार) को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

21. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति. पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोइ क्षति नही पहुचाइ जावेगी। यदी किसी प्रकार की क्षति होगी तो इस की भरपाई अनुबंधक से की जावेगी।

22. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे।

23. उपरोक्त लकडियाँ अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहाँ पडी है वहाँ से उठानी होगी।

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. फार्म मैनेजर, भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी फार्म, भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।